

अनुसूची - 14 - फारम सं० - 503

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुगला

आदेश - फलक लाल देव असुर वगै०
(देखें अगिलेख हस्तक, 1942 का नियम - 120) बनाम
मेसर्स हिण्डालको इंड० ली० वगै०

आदेश फलक तारीख.....से.....तक जिला - गुगला

वाद सं० :- 36/2017-18

वाद का प्रकार :- अनुमति वाद (Permission)

आवेदक 1. श्री लाल देव असुर पिता -स्व० खुसु असुर 2.सुखलाल असुर पिता-स्व० खुसु असुर 3.मंगरा असुर पिता-स्व० खुसु असुर 4. सुजी असुर पिता-स्व एतवा असुर 5. काडें असुर पिता-स्व० एतवा असुर 6.सोमरा असुर पिता-स्व बुधु असुर 7.एतवा असुर पिता-स्व मंगरा असुर 8.एतवा असुर पिता- स्व बुदन असुर 9.शनि असुर पिता-स्व बुदन असुर 10.सिवनी देवी जौजे बुधराम असुर 11. सुखना असुर पिता-बुधराम असुर 12. सुखराम असुर पिता-बुधराम असुर 13. सुलेन्द्र असुर पिता-बुधराम असुर 14.एतवा असुर पिता-बुधराम असुर 15. सुदेश असुर पिता-स्व रमेश असुर (नाबालिग) अग्निभावक शनी असुर सभी ग्राम- -कुजाम थाना-विशुनपुर जिला-गुगला के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 49 के अंतर्गत अपने स्वाभित्त के निम्नांकित भूमि को मेसर्स हिण्डालको इन्डस्ट्रीज लि० कोर्ट रोड, लोहरदगा को 20 (बीस) वर्षीय लीज में देने के लिए अनुमति हेतु आवेदन देकर अनुरोध किए हैं :-

गौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (ए० में)
कुजाम	42	67	103	3.80
			105	1.48
			115	1.14
			117	0.25
			128	0.08
			129	0.36
			143	0.86
			146	0.27
			153	0.56
			154	0.74
			155	0.28
			156	0.11
			164	1.81
			172	0.35
			188	1.94
			189	1.46
			192	0.83
			193	1.04

		194	0.40
		195	6.93
		199	0.07
		97	0.30
	कुल		25.06

आवेदन पर सुनवाई दिनांक - 29.12.2017 को प्रारंभ करते हुए आम नोटिस निर्गत करने के साथ संबंधित अंचल अधिकारी, विशुनपुर से वर्णित भूमि व विषय के परिप्रेक्ष्य में जॉच-प्रतिवेदन, मंतव्य के साथ उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अंचल अधिकारी, विशुनपुर का जॉच प्रतिवेदन उनके पत्रांक - 06 दिनांक - 04.10.2019 के आलोक में प्राप्त व अभिलेख में संधारित है, जो निम्न अनुसार है :-
प्रतिवेदानुसार -

-: लीज हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
गुरदरी	67	103	3.80
		105	1.48
		115	1.14
		117	0.25
		128	0.08
		129	0.36
		143	0.86
		146	0.27
		153	0.56
		154	0.74
		155	0.28
		156	0.11
		164	1.81
		172	0.35
		188	1.94
		189	1.46
		192	0.83
		193	1.04
		194	0.40
		195	6.93
		199	0.07
		97	0.30

कुल:-

25.06 एकड

§

जमाबंदीदार का नाम - मरेया असुर वॉ वारी असुर पेशरान लेवे असुर वॉ एतवा असुर
पेशरान लुटु असुर वॉ सुधु असुर पेशरान गाना असुर
भूमि का विक्री मूल्य - 1,83,200 रु० प्रति एकड़

लीज देने के पश्चात् आवेदक/आवेदकों की शेष भूमि - 10.30 एकड़

प्रतिवेदनानुसार, आवेदकगण जमाबंदी रैयत मरेया असुर वॉ वारी असुर पेशरान लेवे असुर वॉ एतवा असुर पेशरान लुटु असुर वॉ सुधु असुर पेशरान गाना असुर के पोता एवं परसोतागण हैं, जो अपने हिस्से की भूमि को बॉक्सआईट खनन हेतु कंपनी को लीज पर देना चाहते हैं।

आवेदकों का बयान श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह- जिला नजारात उप समाहर्ता गुमला द्वारा दिनांक - 25.06.2020 को लिया गया। आवेदकों ने अपने बयान में कहा है कि वे राजी-खुरी से प्रस्तावित जमीन कंपनी को खनन कार्य हेतु 20 वर्षों के लीज पर देने के लिए सहमत हैं। आवेदकों द्वारा बयान में उचित मुआवजा राशि के अतिरिक्त रोजगार, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, विजली के साथ खनन कार्य के उपरांत जमीन समतल कर कृषि योग्य बनाकर वापस करने की माँग किए हैं।

मेसर्स हिन्डालको इन्डस्ट्रीज लि० के साथ हुए रजिस्टर्ड दस्तावेज Indenture में गुमला जिला अन्तर्गत मौजा-गुरदरी में बॉक्सआईट खनन हेतु डीड (सं० -320, दिनांक - 17.04.2017) में सम्मिलित किया गया है। उक्त खनन पट्टा अनुसार लीज की अवधि विस्तार जिसकी वैधता दिनांक - 23.03.2056 निर्धारित है।

कंपनी की ओर से उनके Sr. Officer (Legal) के द्वारा रैयतों के माँगों के संदर्भ में आवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार - कंपनी रैयतों के भूमि को लीज पश्चात् समतलीकरण कर वापस करने, अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मुआवजा राशि को स्वीकृत करने, रैयतों के परिवार में किसी एक व्यक्ति को योग्यतानुसार नियोजित करने, सी०एस०आर० गतिविधि अंतर्गत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधा के अतिरिक्त रैयतों की आवश्यकतानुसार कृषि सुविधा उपलब्ध कराने की सहमति दिए हैं। उनके द्वारा यह भी उल्लिखित किया गया है कि कंपनी के पास Valid E.C. (Letter No. - J-11015/297/2011-1A.11(M), Dated - 21-07-2015, Ministry of Environment and Forests, Govt. Of India) है तथा यह लीज है मूरी एवं रेणुकूट (उत्तरप्रदेश) प्लॉट के लिए Captive Lease है, जो औद्योगिक प्रयोजन के लिए है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति में अंचल अधिकारी, विशुनपुर के जाँच-प्रतिवेदन व जिला अवर निबंधक, गुमला के पत्रांक - 322, दिनांक - 26.06.2020 द्वारा प्रस्तावित भूमि का प्राप्त निबंधन दर एवं आवेदकों की माँग को ध्यान में रखकर प्रश्नगत भूमि का मूल्य 2,38,200 रु० (दो लाख अड़तीस हजार दो सौ रुपये मात्र) प्रति एकड़ की दर से निर्धारित करते हुए प्रतिवेदित भूमि को लीज में देने की अनुमति अंचल अधिकारी, विशुनपुर की अनुशंसा एवं सरकार व कंपनी के बीच हुए लिखित एकरारनामा में तय बंधनों व निर्देशों के अतिरिक्त निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(क) यह अनुमति सरकार द्वारा स्वीकृत लीज अवधि तक के लिए होगा।

4

(ख) कंपनी द्वारा प्रश्नगत भूमि के लीज में उपयोग किए जाने के निर्धारित समयावधि के पश्चात् भूमि के कृषि योग्य व समतलीकरण कर संबंधित रैयतों (आवेदकों) को वापस की जाएगी।

(ग) मुआवजा की राशि आवेदक के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोलकर जमा करना है। राशि हस्तांतरण के पश्चात् ही जिला अवर निबंधक, गुमला द्वारा लीज हेतु भूमि का निबंधन विन्या जाएगा।

(घ) कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रैयतों की आवश्यकतानुसार कृषि सुविधा उपलब्ध करौएंगे। इसके अतिरिक्त, कंपनी सी०एस०आर० गतिविधियों के अंतर्गत आच्छादित कार्य के तहत संबंधित रैयतों को कृषि कार्य हेतु प्रशिक्षण, उत्तम बीज, बाजार की व्यवस्था भी कराएंगे। साथ ही, खनन क्षेत्रों में भारी ट्रकों, डंपरों व अन्य खनन संयंत्रों के अनवरत रूप से आने-जाने के क्रम में सड़कों को होने वाली क्षति को समय-समय पर मरम्मत कराकर अच्छी स्थिति में संचारित रखना भी सुनिश्चित करेगें, ताकि ग्रामीणों के सामान्य आवागमन एवं अन्य दैनिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े एवं उनका आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा व अन्य गतिविधियाँ सुचारु रूप से सुगमतापूर्वक चल सकें।

पाट क्षेत्रों में पेयजल की समस्या ज्यादा गंभीर है, उक्त को ध्यान में रखकर कंपनी की ओर से उन क्षेत्रों के ग्रामीणों के लिए आवश्यक पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएंगे तथा इस कार्य को सुचारु रूप से नियमित करने के लिए स्थानीय सरकारी विभागों एवं पंचायती राज संस्थाओं से भी यथोचित समन्वय स्थापित करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।


(ड) लीज भूमि को खनन कार्य समाप्त या लीज अवधि समाप्ति में जो पहले हो, के आधार पर प्रश्नगत भूमि रैयत/रैयतों (आवेदक/आवेदकों) को वापस करना होगा।


(च) यदि, प्रश्नगत भूमि पर आवेदक/आवेदकों का मकान अवस्थित है, तो उक्त भू-खंड पर लीज कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कंपनी को यथोचित स्थल पर उन्हें आवास उपलब्ध कराना होगा।

(छ) कंपनी प्रस्तावित भूमि पर लीज कार्य प्रारंभ करने के क्रम में रैयत/रैयतों (आवेदक/आवेदकों) के परिवार में से किसी योग्य व्यक्ति को उनके योग्यता एवं क्षमता के आधार पर नियोजित करेगी। यदि कंपनी ठेकेदार द्वारा खनन कार्य कराती हैं, तो संबंधितों को नियोजित कराने का दायित्व कंपनी के ऊपर होगा।

(ज) कंपनी, नियोजित व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा बॉक्साईट खनन कार्य हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि - 1952 के अंतर्गत देय पी०एफ० अंशदान एवं वोनस भुगतान अधिनियम - 1965 के अधीन देय वोनस के साथ दुर्घटना की स्थिति में Workmen Compensation Act - 1926, Gratuity Act - 1972 आदि विधिक देय के अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराएगा। साथ ही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन कार्य के क्रम में सभी मानक सुरक्षा उपायों का भी संधारण कंपनी द्वारा किया जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित


उपायुक्त,
गुमला


उपायुक्त,
गुमला